[23/7/2019]

प्रश्न सं.198क्र. 1316]

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-7/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय - उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ते का पुनरीक्षण ।

संदर्भ - इस विभाग का परिपत्र क्रमांक जी-25/10/94/सी/चार,दिनांक 28-12-1994

--***--

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप में निहित प्रावधानानुसार एक शासकीय सेवक को अपने कार्य के अलावा दूसरे उच्च पद के अतिरिक्त कार्य करने के लिये दोहरा कार्य भत्ता दिये जाने के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1. दोहरा कार्य भत्ता उच्च पद के "ग्रेड पे" के 20% के बराबर देय होगा ।
2. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने की अवधि 15 दिन से कम होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा । किसी भी प्रकरण में इस भत्ते की अवधि एक साल से अधिक नहीं होगी ।
3. दोहरा कार्यभत्ता उसी स्थिति में देय होगा जब किसी शासकीय सेवक को अपने कार्य के साथ-साथ अन्य उच्च पद के कार्य करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित में आदेशित किया गया हो । यह भत्ता उन प्रकरणों में देय नहीं होगा जहां उच्च पद उसे निर्मित करने के दिनांक से अथवा विगत 1 वर्ष से अधिक की अवधि से रिक्त रहा हो ।
4. दोहरा कार्य भत्ता की स्वीकृति का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा इस परिपत्र के साथ सलंग्न प्रपत्र में जारी किया जायेगा ।
5. यह भत्ता पे-बेंड-4 के पदों एवं उससे उच्च पदों पर कार्य निर्वहन करने की स्थिति में देय नहीं होगा ।

2/ दोहरा कार्य भत्ता की स्वीकृति करने के पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे ।

3/ यह आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग